निर्णय बइजलास डा0 श्री सत्यप्रकाश कस्वां आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 07.08.2019

प्रकरण संख्या : 121 / दावा / 09 तारीख दायरा :– 17.11.2009

उनवान

1– बरदा पुत्र लाल जी जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामानः–

1 / 1– भूरीलाल पुत्र बरदा आयु 27 साल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 2– उमराव बाई पुत्री बरदा आयु 40 साल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 3– गुड्डी बाई पुत्री बरदा आयु 25 साल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 4– नाथीबाई पुत्री बरदा आयु 35 साल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 5– बरजी बाई बेवा बरदा आयु 60 साल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0

2– शिवजी वल्द लाला जी जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

3– नानूराम वल्द लाला जी जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

4– छगन वल्द लाला जी जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

5– जगन्नाथ वल्द भोला जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–

5 / 1– रोशन वल्द जगन्नाथ जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

5 / 2– रमेश वल्द जगन्नाथ जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

5 / 3– अमरसिंह वल्द जगन्नाथ जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

5 / 4– पूरा वल्द जगन्नाथ जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

5 / 5– गोपाल वल्द जगन्नाथ जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

6– देवीलाल वल्द भोला जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–

6 / 1– भैरूलाल वल्द देवीलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

6 / 2– बालाराम वल्द देवीलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

7– किशोर वल्द भोला जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–

7 / 1– बाबूलाल वल्द किशोर जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0 ––– वादीगण

बनाम

1– प्रभूलाल वल्द नन्दा जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–

1 / 1– चोथमल पुत्र प्रभूलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 2– भागीरथ पुत्र प्रभूलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 3– जाना बाई पुत्री प्रभूलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

1 / 4– रोडीबाई धर्मपत्नी प्रभूलाल जाति कहार माली निवासी नाना गरडा तहसील अकलेरा

2– भैरूलाल वल्द नन्दा जाति कहार माली निवासी रेपला तहसील बकानी जिला झालावाड

3– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा ––––– प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

वाद धारा 88, 91, 188, राज0टी0एक्ट

निर्णय

उपस्थिति :— वकील वादी श्री श्री इन्द्रलाल गुप्ता

वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

दिनांक 07.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राज0टी0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गरडा तहसील अकलेरा के माल में धूल्या पुत्र गंगाराम के खाते खसरा न0 873 की 3.00 बीघा, 874 की 4.00 बीघा 942 की 4.04 बीघा कुल जुम्ला 3 किता की 11.04 बीघा आराजी स्थित थी। नकल जमाबन्दी स0 2044–47 पेश है। धूल्या की मृत्यु के बाद आराजी उसकी बेवा अमरी के नाम इंतकाल न0 174 से दर्ज की गई। धूल्या की मृत्यु सन् 1984 में हो गई थी। उसके कोई संतान नहीं थी। धूल्या ने अपनी मृत्यु के 2 वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 1982 में अपनी आराजी मकान जायदाद अपने भतीजे लाला, देवीलाल पिसरान् भोला तथा कंवरलाल पुत्र जगन्नाथ बापू पुत्र किशोर भंवरलाल पुत्र नंदा कहार माली निवासी गरडा को अपनी रजामंदी से सोप दी थी, कि मेरे मरने के बाद मेरी आराजी के तुम ही मालिक होगें ओर उसी समय कब्जा भी संभला दिया था। वादीगण ने धूल्या के अवेर सवेर की तथा मरने पर नुक्ता क्रियाकर्म भी किया। तब से अथात् सन् 1982 से ही वादीगण का कब्जा 4/5 भाग आराजी मुतनाजा पर चला आ रहा है, ओर आज भी वादीगण का ही कब्जा है। शेष 1/5 भाग पर प्रतिवादी प्रभू व भंवरलाल का कब्जा है। धूल्या की मृत्यु होने पर प्रतिवादी भंवरिया ने अमरी से मिल कर वाद मे वर्णित आराजी अपने खाते दर्ज करा ली जिसका नामांतकरण संख्या 1664 दिनांक 01.08.88 है, परन्तु आराजी पर कब्जा वादीगण की ही बदस्तुर बना रहा। लाला की मृत्यु हो गई है। वादीगण बरदा, शिवजी, नानूराम, छगन, लाला की संतान एवं वारिस है। तथा आराजी पर काबिज है। जगन्नाथ वल्द भोला की मृत्यु हो गई है। वादीगण रोशन, रमेश, अमरसिंह, पुरा, गोपाल, जगन्नाथ की संतान एवं वारिस है तथा आराजी पर काबिज है। यह कि आराजी मुतनाजा के 4/5 भाग पर वादीगण का कब्जा 1982 से लगातार बइल्म प्रतिवादी प्रभू ओपन एवं होस्टाइल रूप से चला आ रहा है। ओर प्रतिवादी प्रभू द्वारा उसके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही भी आज तक नहीं की गई है। ओर बेदखली के दावे की मियाद भी 12 वर्ष होती है। इस कारण प्रभू के खातेदारी अधिकार आराजी मुतनाजा के 4/5 भाग में समाप्त हो गये है। अतः धारा 63 (4) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रतिवादी के टीनेन्सी अधिकार कब्जा मुखालपाना के आधार पर भी वादीगण को आराजी के 4/5 भाग के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 से वादीगण का नाम आराजी के 4/5 भाग में दर्ज कराने को कई बार कहां अंतिम बार दिनांक 30.06.2009 को इंकार हो जाने से तथा बैंक में आराजी रहन रख कर किसान क्रेडीट कार्ड बनवाने की धमकी देने से वाद हेतु उत्पन्न हुवा। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम गरडा तहसील अकलेरा के माल में धूल्या पुत्र गंगाराम के खाते खसरा न0 873 की 3.00 बीघा, 874 की 4.00 बीघा 942 की 4.04 बीघा कुल जुम्ला 3 किता की 11.04 बीघा आराजी का प्रभू के साथ 4/5 हिस्से का सहखातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा रेवन्यू रिकार्ड मे प्रतिवादी प्रभू के साथ वादीगण का नाम भी दर्ज करने बाबत डिकी प्रदान करने की कृपा करे। प्रतिवादी प्रभू के नाम इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को 4/5 हिस्से की आराजी से उन्हे बेदखल नही करे। आराजी बैक मे रहन नही रखे, बेचान नही करे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी जिसका वर्णन वाद में

Scanned by CamScanner

किया गया है मृतक धूल्या एवं उसकी मृत्यु के बाद मृतक अमरी के खाते दर्ज हुई थी तथा मृतक अमरी के जीवन काल में ही मुझ प्रतिवादी के खाते जरिये इजराय नम्बर 117/88 दिनांक 05.11.88 को खाते लगाकर मुझ प्रतिवादी को संभला दी थी। तब से उक्त आराजी पर मुझ प्रतिवादी का निरन्तर बइल्म कब्जा चला आ रहा है किन्तु वादीगण उक्त आराजी पर कब्जा करने की गरज से लडाई झगडा कर कब्जा करने की निरन्तर कोशिश करते रहते है। वादीगण के पिता मृतक लाला एवं मृतक भोला मृतक जगन्नाथ एवं मृतक देवीलाल द्वारा पूर्व में भी मुझ प्रतिवादी प्रभूलाल एवं मृतक अमरी पर दिनांक 25.06.1988 को भी इनही तथ्यों को लेते हुऐ एक वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 19.04. 2000 को खारिज हो चुका है। जिसमें वादीगण द्वारा वाद हेतु 30.06.88 दर्ज किया गया ओर वर्तमान में वादीगण द्वारा उक्त आराजी से संबंधित ही वाद हेतु दिनांक 30.06.09 को दर्शाया गया है। जो बाद बैरून मियाद होने से वाद खारिज होने योग्य है। क्योकि वर्तमान में वादीण को किसी प्रकार का वाद हेतु उत्पन नहीं होता तथा मुझ प्रतिवादी को परेशान करने के लिये यह झूठा वाद पेश किया गया है। जो द्वेषतापूर्ण है। इस कारण प्रतिवादी प्रभू वादीगण से 5000/– रू0 विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा इनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ताकि वादीगण मुझ प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट या अवरोध पैदा नहीं करें। ना किसी अन्य से करवावें। एवं शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें। इस आशय की सादर डिक्री फरमायी जावें। यह कि वादी द्वारा किये गये मूल वाद में वादीगण के पितागण द्वारा भी अपनी उपस्थिति दे दी गई थी। तथा मृतक अमरी एवं प्रभूलाल के मध्य जो वाद चल रहा था। वह जर्ये राजीनामा दिनांक 10.03.88 को डिक्री किया गया था तथा वाद डिक्री 05.11.88 को मुझ प्रतिवादी को कब्जा संभलाया गया था। संबंधित वाद की अपील वादीगण के पिता लाला जगन्नाथ किशोर भोला को करनी चाहिऐ थी जो उनके द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण वादीगण का वाद बैरून मियाद होने से काबिले खारिजी है। नकल राजीनामा दिनांक 04.02.88 एवं डिक्री व फैसला 10.03.88 एवं दखलनामा दिनांक 05.11.88 अवलोकनार्थ पेश है। अतः ग्राम गरडा तहसील अकलेरा के माल में स्थित खसरा न0 873 की 3.00 बीघा, 874 की 4. 00 बीघा 942 की 4.04 बीघा कुल जुम्ला 3 किता की 11.04 बीघा आराजी पर बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण प्रतिवादी प्रभू के कब्जे काश्त की आराजी मे न तो स्वयं कोई अंवरोध पेदा करे न ही अन्य किसी से अवरोध पैदा करवावे। वाद जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीहात कायम की गयी जो वाद पत्र में संलग्न है। तनकीहात के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गयें। प्रतिवादीगण को बकाया साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निरन्तर अवसर दिये जाने के पश्चात् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से दिनांक 12.11.2018 को प्रतिवादीगण की बकाया साक्ष्य बन्द की गयी। अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने तथा अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने के पश्चात् निम्न प्रकार तनकीवार विवेचन किया जाता है:–

तनकी न0 1 – आया धूल्या की मृत्यु सन् 1984 में हो गई थी उसके कोई संतान न होने से धूल्या ने मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व सन् 1982 में अपनी समस्त आराजी मकान जायदाद अपने भतीजे लाला, देवीलाल, कंवरलाल, बापू, भंवरलाल कहार माली निवासी नाना गरडा को यह कह कर सोप दी थी कि मेरे मरने के बाद सारी सम्पत्ती के तुम ही मालिक होगें। कब्जा भी उसी समय सोप दिया था। तब से धुलिया की अवेर सवेर वादीगण ने ही किया। उसका नुकता कियाकर्म भी वादीगण ने ही किया तव से अर्थात् सन् 1982 से 4/5 भाग आराजी पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। ––– वादी

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने हेतु किसी प्रकार का राजस्व या अन्य कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि मृतक धूल्या द्वारा सारी संपत्ति व विवादित भूमि वादीगण को सोप कर कब्जा आराजी संभला दिया हो यहां तक की वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह

Scanned by CamScanner

शिवजी वल्द लाला द्वारा भी अपने बयान मे एक बार यह व्यक्त किया है कि धूल्या के मरने के बाद यह जमीन अमरीबाई के खाते आ गई थी तब अमरीबाई ने यह जमीन काश्त की थी। अतः वादीगण इस तनकी को रिकार्ड के आधार पर साबित करने मे असमर्थ होने से यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2 – आया धूल्या की मृत्यु हो गई प्रतिवादी भंवरिया ने धूलिया की पत्नी अमरी से मिलकर वाद मे वर्णित आराजी अपने स्वयं के खाते नामांतकरण न0 1664 दिनांक 01.08.88 से दर्ज करा ली परन्तु कब्जा वादीगण का ही रहा। इसका वाद पर क्या असर है ? —– वादी

वादीगण द्वारा इस कथन को साबित करने हेतु कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वर्णित आराजी प्रतिवादी प्रभू के खाते दर्ज होने के बाद भी वादीगण का कब्जा रहा हो इसके विपरित प्रतिवादी द्वारा दखलनामा दिनांक 05.11.88 प्रस्तुत किया जो एक वैधानिक दस्तावेज है जिसके अवलोकन से वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को कब्जा दिया जाना साबित है। इस कारण वादीगण रिकार्ड के आधार पर उक्त तनकी साबित करने मे असमर्थ रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3 :– आया आराजी मुतनाजा के 4/5 भाग पर वादीगण का कब्जा 1982 से लगातार बइल्म प्रतिवादी प्रभू ओपन एवं होस्टाईल रूप से आज तक चला आ रहा है और प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्व बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं करने से 12 वर्ष की मियाद समाप्त होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। —– वादी

उक्त तनकी नम्बर 1 व तनकी नम्बर 2 से वादीगण का कब्जा 1982 से लगातार होना साबित नही हुआ है जिससे प्रतिवादी को वादीगण के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता हो और वादीगण का तर्क सही प्रतीत हो। यहां तक की कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना समाप्त हो चुका है अतः यह तनकी इसी प्रकार विरूद्व वादीगण फैसल की जाती है।

तनकी न0 4– आया वादीगण के पिता मृतक लाला, भोला, जगन्नाथ, देवीलाल द्वारा प्रभूलाल एवं अमरी के विरूद्व दावा दिनांक 25.06.88 को पेश किया था जो इन्ही तथ्यों पर आधारित था यह वाद दिनांक 19.04.2000 को खारिज हो गया था। इस वाद मे वाद हेतु 30.06.2009 लिया गया है। अतः वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। —— प्रतिवादी

पत्रावली मे प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नकल दावा 714/88 के अवलोकन से प्रतिवादी का तर्क साबित होता है तथा यह भी स्पष्ट है कि दोनो वाद एक ही तथ्य पर आधारित है। अतः यह तनकी इसी प्रकार बहक प्रतिवादी फैसल की जाती है।

तनकी न0 5– आया आराजी मुतनाजा के संबंध में अमरी एवं प्रभू के मध्य दावा न0 1056/85 चला था जिसमें राजीनामा होकर आराजी प्रभू के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ। इसका वाद पर क्या असर है। उक्त वाद में वादीगण ने उन्हे पक्षकार बनाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था। उसका निर्णय करे बिना चुपके से प्रतिवादी प्रभू ने राजीनामा कर लिया। इसका वाद पर क्या असर है। ——– वादी

इस तनकी मे वादीगण को पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना राजीनामा कर भूमि प्रभू के खाते दर्ज करवाने के आदेश होने बाबत पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी वादीगण द्वारा उक्त वाद के निर्णय की अपील नही की जाकर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत वाद उचित प्रतीत नही होता है यदि वादीगण को पूर्व वाद के निर्णय से कोई आपत्ति थी तो वादीगण के पिता को उसकी अपील करनी चाहिये थी। अतः यह तनकी इसी प्रकार विरूद्व वादीगण फैसल की जाती है।

Scanned by CamScanner

तनकी न0 6– आया प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम में वाद हेतु कोर्ट फीस अवधि मध्य होने बाबत् तथा कोन कोन सी धाराओं में काउन्टर क्लेम पेश किया गया दर्ज नहीं होने से कोर्ट फीस अदा न करने से काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है।

––– वादी

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अवलोकन से वादी का तर्क सही साबित होता है। अतः यह तनकी इसी प्रकार बहक वादी फैसल की जाती है।

तनकी न0 7– आया काउन्टर क्लेम पेश करने के दिनांक को प्रतिवादी प्रभू का कब्जा नहीं होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

––– वादी

वादी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता है कि काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने की दिनांक को विवादित आराजी पर प्रभू का कब्जा नही था। अतः यह तनकी इसी प्रकार विरूद्ध वादीगण फैसल की जाती है।

उक्त सभी तनकीयात के विवेचन के आधार पर यह साबित नही होता है कि वर्णित आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा हो प्रतिकूल कब्जे के समर्थन में कोई राजस्व रिकार्ड की प्रतियां पेश नहीं की है। मात्र मौखिक रूप से प्रतिकूल कब्जे की बात कहना उचित नही है। कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना समाप्त हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य मात्र कब्जे के आधार पर ही प्रस्तुत किये है किन्तू दौराने बहस वकील वादी द्वारा वादीगण धूल्या के रिश्तेदार होने से वर्णित आराजी मे प्रभू के साथ सहखातेदार होने का हक व्यक्त किया है इस हेतू वादीगण को इस न्यायालय के पूर्व वाद संख्या 1056/85 की अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करनी चाहिए थी जो इनके द्वारा नही की गई है। अतः वादीगण इस वाद के माध्यम से किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नही है जिससे वाद वादीगण खारिज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधिक प्रक्रिया व कोर्ट फीस के अभाव मे खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

(डा0 श्री सत्यप्रकाश कस्वां)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा
उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

Scanned by CamScanner